भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1253

दिनांक 27 जुलाई, 2021

आईसीएआर और डीआईसी के बीच समझौता ज्ञापन

1253. श्री रेबती त्रिपुरा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री विजय कुमार दुबे:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;
(ग) उक्त समझौता ज्ञापन से किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और
(घ) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में किसानों को टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी, हाँ। दिनांक 09 जून, 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन, (डीआईसी) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस समझौता ज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य **"सिस्टम ऑफ एग्री-इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस ऑटो-ट्रांसमिशन एंड टेक्नोलॉजी हब इंटरफ़ेस (किसान सारथी)"** का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन करना है, जो किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकियों की जानकारी से सशक्त करने के लिए, प्रारम्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अवधारणा से तैयार तथा अब डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन,

मिनिस्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा डिजिटल मंच है। यह इस समझौता ज्ञापन के अनुसार डीआईसी द्वारा विकसित किए गए मौजूदा इंटर एक्टिव इन्फॉर्मेशन डिस्सेमीनेशन सिस्टम (आईआईडीएस) का लाभ उठाता है।

(ग) यह किसानों की आवश्यकता के अनुसार और उनकी स्थानीय भाषा में मल्टी मीडिया के माध्यम से उन्हें स्थल-विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकीय सूचना और परामर्श प्रदान करने के लिए 'पुल्ल और पुश' आधारित इंटर एक्टिव डिजिटल परामर्श प्रणाली है।

(घ) यह मंच विकसित कर लिया गया है और शुरू (लॉन्च) भी हो गया है।

****